तारः पर्यावरण
GRAM:PARYAVARN

क्षेत्रीय कार्यालय
REGIONAL OFFICE

फोन एवं फैक्सः 05278–245411
TELE&FAX:05278-245411
Email.roayodhya@uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,अयोध्या
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD AYODHYA

सन्दर्भ सं0.............
Ref.no..04/F-50/N.G.T./OA No. 371-2021/2022

.दिनांक...........................
Dated.04/04/2022

To,

The Deputy Registrar (Judicial)
National Green Tribunal,
Principal Bench, New Delhi-110001

Subject:- **Hon'ble NGT order dated 04/01/2022(O.A. No. 371/2021) in the matter of Atul GuptaVs State of UTTAR PRADESH, before NGT, New Delhi.**

Hon'ble Sir,

That the Hon'ble NGT has pass Following order in OA no 371/2021 on dated 04/01/2022.

"...In view of above, we direct the State PCB and District Magistrate, Bahraich to look into the matter and take remedial action which inter-alia may include compliance with concent conditions and the norms for siting of the Rice Mil in question in accordance with law and file an action taken report before this Tribunal within two months by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of image PDF. The State PCB will be the nodal agency for coordination and compliance."

With respect it is submitted that in compliance of aforesaid order passed by the Hon'ble NGT on 04/01/2022 the industry is in question M/s Amarnath Rice Mill, Azad Road District Bahraich has been closed by joint team U.P. Pollution Control Board (UPPCB) Officials and City Magistrate (On behalf of District Magistrate Bahraich),Dy SP Police, Executive Engg. Electricty department dated on 01/04/2022. Also electricity connection supply of the industry has been disconnected by the Electricity Department, Bahraich.

The copy of the detailed action taken report is annexed herewith this letter for your kind perusal.

With Regards,

(Chandresh Kumar)
Regional Officer
U.P.Pollution Control Board,
Ayodhya

The point-wise details of the Action Takenagainst the M/s Amarnath Rice Mill, Azad Road District Bahraich

In the matter of

Atul Gupta Vs state of UP

(O.A. No. 371/2021)

1.In the context of the complaints being made continuously by Mr. Atul Gupta, Resident-Mohalla-Gulami Pura, Azad Road, District Bahraich against the M/s Amarnath Rice Mill, Azad Road District Bahraich, Regional office UP Pollution Control Board Ayodhya has sent notice to the industry vide letter no-854/F50/WC/AC/2020 dated 17.11.2020. A photocopy of the said letter is attached as Annexure-1.

2.M/s Amarnath Rice Mill, Azad Road, Bahraich submitted a notarized affidavit dated 11.01.2021 to this office (Regional office UPPCB Ayodhya) that the industry would buy land for the new unit by March 2021 and Will shift his unit in a phased manner, for which at least he should be given 01 year time. Also The photocopy of the notarized affidavit is enclosed as Annexure-2.

3. In the context of the complaint made by the complainant Mr. Atul Gupta, resident of Azad Road district Bahraich against the aforesaid industry, the inspection of the industry was done on 01.02.2021 by the authorized officers/personnel of this office(Regional office UPPCB Ayodhaya). Based on the demerits/non compliance found during the inspection, notice was sent to the industry by this office's letter no.-1545/Gen. Complaint/Notice/2021 dated 05.02.2021. Inspection report dated 01.02.2021 are attached as 'Annexure-3'.

4. In the context of complaints being received against the above-mentioned industry, the inspection of the industry was done on 06.03.2021 by the authorized officers of Regional office UPPCB Ayodhya. In view of the facts mentioned in the inspection report of the inspection done on 06.03.2021 of the aforesaid industry, Regional office UPPCB Ayodhya has recommended to take legal action against the industry under the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 via vide letter number-1660/F-50/Gen. sikayat /2021 dated 12.03.2021 to HQ UPPCB Lucknow. The photocopy of the said letter dated 12.03.2021 is attached as 'Annexure-4 and Annexure-5.

5. In view of the facts mentioned in above letter HQ UPPCB has issued show cause notice against to the aforesaid industry under section-31A of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 vide letter number-H 61407/C-6/SA-618/Show cause notice/Ayodhya/21 dated 05.04.2021. The photocopy of the said show cause notice dated 05.04.2021 is attached as Annexure-6.

6. In relation to the again complaint made by the complainant Mr. Atul Gupta, Resident-Mohalla-Gulami Pura, Azad Road, District Bahraich in the office regarding the pollution caused

A.E.E. CM

by the operation of the aforesaid industry, the inspection of the industry was done by RO UPPCB Ayodhya on dated 01.01.2022. it was found that unit was in operation. Ambient air monitoring was done by the laboratory of this office at the time of inspection. According to the Ambient air quality monitoring report, the amount of Particulate Matter was found to be 315.97 mg/nm3, which was more than the board standards. The photocopy of inspection report dated 01.01.2022 and monitoring report is attached as 'Annexure-7' and 'Annexure-8' respectively.

7. In view of the facts mentioned in the inspection report on dated 01.01.2022 of the aforesaid industry, Regional office UPPCB Ayodhya was sent letter to industry and instructed to unit has to give its clarification within a week vide letter no.-971/F-50/Notice/2022 dated 17.01.2022. The photocopy of the said letter dated 17.01.2022 is attached as Annexure-9.

8.The above referred industry did not send its clarification to this office within the stipulated time period with reference to the above letter dated 17.01.2022, due to which consent issued by the State Board's letter no.-95072/UPPCB/Faizabad(UPPCBRO)/CTO/air/BAHRAICH/2020 dated 28.05.2020 has been revoked and its information was sent to the industry through vide letter number-1005/F-50/A.C/Revoke/2022 dated 29.01.2022. Photocopy of the said letter dated 29.01.2022 is attached as Annexure-10'.

9.Regional office UPPCB Ayodhya was sent letter with recommendation to confirm show cause notice (for closure order to the unit) to the HQ UPPCB Lucknow, vide letter No. 1028/F-50/Revoke/2022 dated 31.01.2022.The photocopy of the said letter dated 31.01.2022 is attached as Annexure-11'.

10.HQ UP Pollution control board, Lucknow has issued closure order under section 31A of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (as amended)against the above mentioned industry M/s Amarnath Rice Mill, Azad Road, Bahraich via vide letter no-H 71830/C-6/SA.-618/Closure Order/Ayodhya/21/2022 dated 21.02.2022. The photocopy of the closure order dated 21.02.2022 is attached as Annexure-12.

11.District Magistrate, Bahraich vide letter number-1123/OA 371/R.P.C. Board/2022 dated 11.03.2022 has formed a joint teamin the compliance of closure order dated 21.02.2022 issued by the UPPCB, Lucknow. The photocopy of the said order dated 11.03.2022 is attached as Annexure-13.

12. M/s Amarnath Rice Mill, Azad Road District Bahraich is also filed a writ petition (writ C 1799 of 2022) in Hon'ble high court, lucknow bench for relief against closure order of unit which is received in this office on dated 29.03.22.

A.E.E.

CM

13.The joint committee constituted by District Magistrate, Bahraich has stopped the operation of M/s Amarnath Rice Mill, Azad Road, Bahraich on 01.04.2022 and the main power line and all the electricity connection supply of the industry has been disconnected by the Electricity Department, Bahraich. Closure compliance report of joint committee is attached as annexure 14.

The above facts/action taken report are being submitted for consideration of this Hon'ble Tribunal.

(Santosh Kumar)	(Chandresh Kumar)	(Jyoti Rai)
A.E.E.	Regional Officer	City Magistrate
RO, UPPCB, Ayodhya	RO, UPPCB, Ayodhya	Bahraich

Annexure - 01

तार : पर्यावरण
GRAM : PARYAVARAN

क्षेत्रीय कार्यालय
Regional Office

फोन एवं फैक्स : 05278-245411
Tele & Fax : 05278-245411
Email- rofaizabad@uppcb.com

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अयोध्या
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, AYODHYA

Ref. No. : 854/F.S0/WC/AC/2020

दिनांक :
Dated : 17.11.2020

पंजीकृत

सेवा में,

मेसर्स अमरनाथ राइस मिल,
आजाद रोड,
बहराइच

विषय- वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 के आज्ञापक प्राविधानों के अनुपालन के संबंध में |

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके उद्योग के संचालन से हो रहे प्रदूषण की शिकायत शिकायतकर्ता श्री अतुल गुप्ता, निवासी मोहल्ला गुलाम अली पुरा, जनपद बहराइच के पत्र संख्या 28.10.2020 व 09.11.2020 एवं आई जीआरएस शिकायत कार्यालय में प्राप्त हुई है | उक्त शिकायत में उद्योग के संचालन से वायु प्रदूषण की समस्या उत्पन्न हो रही है | उक्त समस्याओं के निराकरण हेतु आपका ध्यानाकर्षण निम्नलिखित विन्दुओं पर आकृष्ट किया जाता है -

1- इकाई से जनित राख का तकनीकि रूप से इस प्रकार निस्तारण किया जाये जिससे राख उड़ने की समस्या उत्पन्न न हो एवं जल, वायु तथा मृदा प्रदूषण उत्पन्न न हो |

2- आपके उद्योग में स्थापित ब्वायलरों पर वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु स्थापित साइक्लोन टाइप डस्ट कलक्टर का नियमित रूप से अनवरत संचालन किया जाये व प्रभावी रखरखाव किया जाये | ताकि समीपस्थ क्षेत्र में वायु प्रदूषण/डस्ट की समस्या उत्पन्न न हो |

3- उद्योग द्वारा बोर्ड की मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से उद्योग में स्थापित ब्वायलर से सम्बद्ध चिमनी की नवीनतम मानिटरिंग रिपोर्ट बोर्ड में प्रेषित किया जाये |

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त विन्दुओं पर तत्काल कार्यवाही करते हुए एवं उद्योग के संचालन से वायु प्रदूषण/डस्ट की समस्या का निराकरण करते हुए कृत कार्यवाही का विवरण 10 दिवसों के अन्दर इस कार्यालय को प्रेषित करते हुए बोर्ड मुख्यालय को भी सूचित करें, अन्यथा उपरोक्त का अनुपालन न होने की दशा में आपके उद्योग के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 के प्राविधानों के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही किये जाने की संस्तुति सक्षम अधिकारी को कर दी जायेगी जिसका समस्त उत्तरदायित्व उद्योग का स्वयं का होगा |

भवदीय

(ओम प्रकाश)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि : मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-6) उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित |

क्षेत्रीय अधिकारी

RU192725451IN IVR:8235192725451
RL RAMNAGAR COLONY SO <224001>
Counter No:1,18/11/2020,13:47
To:MSAMARNATH RICE ,MILL
PIN:271801, Bahraich HO
From:RO,UPPNB RMC
Wt:10gms
Amt:22.00(Cash)

India Post

954

Annexure- 02

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

TEN RUPEES

10

Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

NOTARIAL NOTARIAL

INDIA NON JUDICIAL

समक्ष - क्षेत्रीय प्रदूषण अधिकारी महोदय उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

41AE 634756

(अमरनाथ)

शपथ पत्र

मैं अमरनाथ अग्रवाल पुत्र स्व० राम गोपाल अग्रवाल निवासी अली पुरा आनन्द रोड थाना दरगाह शरीफ बहराइच व हलफन शपथ निम्न बयान करता हूँ।

1- यह कि शपथी मे० अमरनाथ राइस मिल आनन्द रोड व हलफन का प्रोप्राइटर व स्वामी है

2- यह कि शपथी की उक्त इकाई मे [illegible] व्यवसाय का संचालन नहीं किया जा रहा है

3- यह कि शपथी द्वारा नई इकाई हेतु जमीन खरीदने का प्रयास गम्भीरता पूर्वक प्रयास किया जा रहा है।

4- यह कि शपथी मार्च 2021 तक नई इकाई हेतु खरीद लेगा जिसके बाद चरण वद्ध तरीके से अपनी चालू इकाई शिफ्ट कर देगा जिसके लिए कम से कम 1 वर्ष का समय दिया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

मैं शपथी तस्दीक करता हूँ कि शपथ पत्र की दफा 1 ता 4 मेरे इल्म व यकीन में सच है [illegible]

Agarwal

अमरनाथ अग्रवाल

Solemnly affirmed before me by Sri .... who is personally identified by Sri .... at Bahraich the Content Read over explained & Verified.
Fee Rupees 35.00 .... Date 11-1-2021

Chhannu Lal Shukla
Advocate/Notary
11/1/2021

मै शपथी के हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा प्रमाणित करता हूँ

Annexure-03

सन्दर्भ- शिकायतकर्ता श्री अतुल गुप्ता, निवासी आजाद रोड, जनपद बहराइच द्वारा मै0 अमरनाथ राइस मिल, आजाद रोड, बहराइच से हो रहे प्रदूषण की शिकायत के संबंध में निरीक्षण आख्या :

उपरोक्त संदर्भित उद्योग का निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा दिनांक 01.02.2021 को किया गया | निरीक्षण के समय श्री अमरनाथ अग्रवाल उद्योग प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित थे | निरीक्षण के समय उद्योग संचालित पाया गया | निरीक्षण के समय निम्न तथ्य प्रकाश में आये जिनका विवरण निम्नवत् है -

1- उद्योग एक राइस मिल उद्योग है तथा कार्यालय अभिलेखानुसार वर्ष 1997 से स्थापित/कार्यरत है |

2- निरीक्षण के समय उद्योग द्वारा कच्चे माल के रूप में धान का प्रयोग कर लगभग 04 टन/घंटा की दर से अरवा चावल (सरकारी धान की कुटाई हेतु) का उत्पादन किया जाता है |

3- निरीक्षण के समय उक्त उद्योग के पूरब दिशा में सटा हुआ शिकायतकर्ता का आवासीय मकान स्थित है | पश्चिम दिशा में लगभग 10 फिट की दूरी पर श्रीमती पूर्णिमा अग्रवाल का खाली प्लाट स्थित है | उत्तर दिशा में सटा हुआ श्री शिव शंकर अग्रवाल का आवासीय मकान स्थित है | दक्षिण दिशा में लगभग 10 फिट का रास्ता के बाद ग्राम वादहो की आवादी स्थित है |

4- उद्योग में जल का प्रयोग घरेलू प्रयोजन हेतु किया जाता है | उद्योग से जनित घरेलू उत्प्रवाह के निस्तारण सेप्टिक/सोकपिट टैंक की व्यवस्था उद्योग में स्थापित है |

5- उद्योग द्वारा 2 टन/घंटा वाष्प जनन क्षमता का एक लो प्रेसर ब्यायलर स्थापित है | जिसमें ईधन के रूप में राइस हस्क का प्रयोग किया जाता है | उक्त ब्यायलर से जनित फ्लू गैस के उत्सर्जन हेतु एम.एस. निर्मित भूतल से लगभग 100 फिट ऊँची चिमनी स्थापित है | वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था के रूप में दो अदद साइक्लोन डस्ट कलक्टर की स्थापना की गयी है | वर्तमान में निरीक्षण के समय ब्यायलर संचालन वन्द पाया गया | वर्तमान में अरवा चावल का उत्पादन कार्य किया जा रहा है |

6- उद्योग द्वारा विद्युत आपूर्ति वाधित होने की दशा में 62.5 केवीए का एक अदद कैनोपीयुक्त डी.जी. सेट स्थापित है जिसमे ईधन के रूप में लगभग 05 लीटर/घंटा की दरं से डीजल का प्रयोग किया जाता है |

7- उद्योग को इस कार्यालय द्वारा सहमति जल तथा वायु दिनांक 31.07.2024 तक निर्गत है |

8- उद्योग से जनित भूसी का निस्तारण वन्द टीन कवर्ड शेड 60 फुट×40 फिट में किया जाता है | निरीक्षण के समय पाया गया कि शिकायतकर्ता के मकान की तरफ में उद्योग द्वारा कवर्ड किया टीन शेड एक स्थान पर (लगभग 2×3 फिट) खुला हुआ पाया गया, जिससे शिकायतकर्ता के मकान में फ्यूजीटिव इमीशन की समस्या होना स्वाभाविक है | मौके पर उपस्थित उद्योग प्रतिनिधि को उक्त टीन शेड को तत्काल पूर्णतया कवर्ड करने हेतु निर्देशित किया गया है जिससे शिकायतकर्ता की समस्या का निराकरण हो सके |

9- पूर्व में उक्त उद्योग को कार्यालय के पत्र संख्या 854/F-50/WC/PC/2020 दिनांक 17.11.2020 द्वारा नोटिस प्रेषित किया गया था | उक्त नोटिस के अनुक्रम में उद्योग द्वारा अपने पत्र दिनांक 26.11.2020 द्वारा स्पष्टीकरण प्रेषित किया गया है | इसके बाद उद्योग स्वामी द्वारा अपने नोटराइज्ड शपथ पत्र पर दिनांक 11.01.2021 द्वारा सन्दर्भित उद्योग को नये स्थान पर जमीन खरीदते हुए चरणवद्ध तरीके से एक वर्ष में इकाई शिफ्ट करने हेतु कार्यालय में प्रेषित किया गया है, जो संलग्न है |

उपरोक्त निरीक्षण आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं नियमानुसार नोटिस प्रेषित करने हेतु अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत |

05/02/2021
(दिनेश चन्द्र मिश्र)
अनुश्रवण सहायक

05/02/2021
(राजेन्द्र चौबे)
वैज्ञानिक सहायक

सहा0पया0अभि0/क्षेत्रीय अधिकारी महोदय,

05/02/2021

05/02/2021

Annexure- 04

सन्दर्भ- मै0 **अमरनाथ राइस मिल, आजाद रोड, वहराइच से हो रहे प्रदूषण की शिकायत के संबंध में निरीक्षण आख्या :**

उपरोक्त संदर्भित उद्योग के विरूद्ध शिकायतकर्ता श्री अतुल गुप्ता, जनपद वहराइच द्वारा शिकायत आई.जी.आर.एस. संख्या 92018000052141 व वोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या H-59302/सी-6/सा0/शिकायत/618/अयो0/21 दिनांक 23.02.2021 एवं पत्र संख्या H59301/सी-6/सा0शिकायत/618/अयोध्या/21 दिनांक 23.02.2021 तथा कार्यालय जिलाधिकारी, वहराइच के पत्र संख्या 364/शि0लि0-31आर/प्र0जा0)/2021 दिनांक 27.02.2021 एवं वोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या H59717/सी0-6/सा0-29/के0प्र0नि0वोर्ड/21 दिनांक 05.03.2021 तथा शिकायतकर्ता एडवोकेट अकरम आजाद मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ की शिकायत वोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या H59524/सी0-6/सा0-शिकायत/05/FAZ/2021 दिनांक 02.03.2021 के अनुक्रम में निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा दिनांक 06.03.2021 को किया गया | निरीक्षण के समय श्री अमरनाथ अग्रवाल उद्योग प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित थे | निरीक्षण के समय उद्योग संचालित पाया गया | निरीक्षण आख्या निम्नवत् है -

1- उद्योग एक राइस मिल उद्योग है तथा कार्यालय अभिलेखानुसार वर्ष 1997 से स्थापित/कार्यरत है |निरीक्षण के समय उद्योग द्वारा कच्चे माल के रूप में धान का प्रयोग कर लगभग 04 टन/घंटा की दर से अरवा चावल (सरकारी धान की कुटाई हेतु) का उत्पादन किया जाता है |

2- निरीक्षण के समय उक्त उद्योग के पूरव दिशा में सटा हुआ शिकायतकर्ता का आवासीय मकान स्थित है | पश्चिम दिशा में लगभग 10 फिट की दूरी पर श्रीमती पूर्णिमा अग्रवाल का खाली प्लाट स्थित है | उत्तर दिशा में सटा हुआ श्री शिव शंकर अग्रवाल का आवासीय मकान स्थित है | दक्षिण दिशा में लगभग 10 फिट का रास्ता के वाद ग्राम वादहो की आवादी स्थित है |

3- उद्योग में जल का प्रयोग घरेलू प्रयोजन हेतु किया जाता है | उद्योग से जनित घरेलू उत्प्रवाह के निस्तारण सेप्टिक/सोकपिट टैंक की व्यवस्था उद्योग में स्थापित है |

4- उद्योग द्वारा 2 टन/घंटा वाष्प जनन क्षमता का एक लो प्रेसर व्यायलर स्थापित है | जिसमें ईधन के रूप में राइस हस्क का प्रयोग किया जाता है | उक्त व्यायलर से जनित फ्लू गैस के उत्सर्जन हेतु एम.एस.निर्मित भूतल से लगभग 100 फिट ऊँची चिमनी स्थापित है | वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था के रूप में दो अदद साइक्लोन डस्ट कलक्टर की स्थापना की गयी है | वर्तमान में निरीक्षण के समय व्यायलर संचालन वन्द पाया गया | वर्तमान में अरवा चावल का उत्पादन कार्य किया जा रहा है |

5- उद्योग द्वारा विद्युत आपूर्ति वाधित होने की दशा में 62.5 केवीए का एक अदद कैनोपीयुक्त डी.जी. सेट स्थापित है जिसमे ईधन के रूप में लगभग 05 लीटर/घंटा की दर से डीजल का प्रयोग किया जाता है |

6- उद्योग को इस कार्यालय द्वारा सहमति जल तथा वायु दिनांक 31.07.2024 तक निर्गत है |

7- उद्योग से जनित भूसी का निस्तारण वन्द टीन कवर्ड शेड 60 फुट×40 फिट में किया जाता है | निरीक्षण के समय पाया गया कि शिकायतकर्ता के मकान की तरफ में उद्योग द्वारा कवर्ड किया टीन शेड एक स्थान पर (लगभग 2×3 फिट) खुला हुआ पाया गया, जिससे शिकायतकर्ता के मकान में फ्यूजीटिव इमीशन की समस्या होना स्वाभाविक है |

8- निरीक्षण के समय कार्यालय की प्रयोगशाला द्वारा उद्योग में एम्बिएन्ट एयर मानिटरिंग का कार्य किया गया | संलग्न अनुश्रवण आख्यानुसार पी.एम. की मात्रा वोर्ड मानकों के अनुरूप नही पायी गयी |

9- पूर्व में उक्त उद्योग को कार्यालय के पत्र संख्या 854/F-50/WC/PC/2020 दिनांक 17.11.2020 द्वारा नोटिस प्रेषित किया गया था | उक्त नोटिस के अनुक्रम में उद्योग द्वारा अपने पत्र दिनांक 26.11.2020 द्वारा स्पष्टीकरण प्रेषित किया गया है | इसके वाद उद्योग स्वामी द्वारा अपने नोटराइज्ड शपथ पत्र पर दिनांक 11.01.2021 द्वारा सन्दर्भित उद्योग को नये स्थान पर जमीन खरीदते हुए चरणवद्ध तरीके से एक वर्ष में इकाई शिफ्ट करने हेतु कार्यालय में प्रेषित किया गया था |

....../2--

(2)

10- तदोपरान्त सन्दर्भित उद्योग के विरूद्ध पुन: प्राप्त शिकायत के अनुक्रम में दिनांक 01.02.2021 को ... लय द्वारा निरीक्षण किया गया | निरीक्षण के समय पायी गयी कमियों के संवंध में उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 के प्राविधानों के अनुपालन हेतु कार्यालय के पत्र संख्या 1545/सा0 शिकायत/नोटिस/2021 दिनांक 05.02.2021 द्वारा नोटिस प्रेषित किया गया एवं आख्या कार्यालय के पत्र संख्या 1548/सा0 शिकायत/2021 दिनांक 05.02.2021 द्वारा वोर्ड मुख्यालय प्रेषित की गयी | उद्योग को प्रेषित नोटिस का अनुपालन उद्योग द्वारा नही किया जाता पाया गया, स्थिति पूर्ववत् है |

उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए सन्दर्भित उद्योग के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 के प्राविधानों के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं नियमानुसार नोटिस प्रेषित करने हेतु अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत |

12-3-2021
(दिनेश चन्द्र मिश्र)
अनुश्रवण सहायक

12/03/2021
(राजेन्द्र चौवे)
वैज्ञानिक सहायक

सहा0पर्या0अभि0 /क्षेत्रीय अधिकारी महोदय,

12/03/2021

12/3/2021

Annexure- 05

पर्यावरण
GRAM : PARYAVARAN

क्षेत्रीय कार्यालय
Regional Office

फोन एवं फैक्स : 05278-245411
Tele & Fax : 05278-245411
Email- roayodhya@uppcb.in

UPPCB

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अयोध्या
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, AYODHYA

Ref. No.: 1660/F-50/सा०/शिकायत/2021

दिनांक : 12/03/2021
Dated :

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-6)
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ

विषय- शिकायतकर्ता श्री अतुल गुप्ता, निवासी आजाद रोड, जनपद बहराइच द्वारा मै० अमरनाथ राइस मिल, आजाद रोड, बहराइच से हो रहे प्रदूषण की शिकायत के संबंध में |

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक शिकायतकर्ता श्री अतुल गुप्ता, जनपद बहराइच द्वारा शिकायत आई.जी.आर.एस. संख्या 92018000052141 व बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या H-59302/सी-6/सा०/शिकायत/618/अयो०/21 दिनांक 23.02.2021 एवं पत्र संख्या H59301/सी-6/सा०शिकायत/618/अयोध्या/21 दिनांक 23.02.2021 तथा कार्यालय जिलाधिकारी, बहराइच के पत्र संख्या 364/शि०लि०-31आर/प्र०जा०)/2021 दिनांक 27.02.2021 एवं बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या H59717/सी०-6/सा०-29/के०प्र०नि०बोर्ड /21 दिनांक 05.03.2021 तथा शिकायतकर्ता एडवोकेट अकरम आजाद मा० उच्च न्यायालय लखनऊ की शिकायत बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या H59524/सी०-6/सा०-शिकायत/05/FAZ/2021 दिनांक 02.03.2021 कार्यालय में प्राप्त हुई है, का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें | उक्त शिकायत के संबंध में निरीक्षण कार्यालय द्वारा दिनांक 06.03.2021 को किया गया | निरीक्षण के समय कार्यालय की प्रयोगशाला द्वारा उद्योग में एम्बिएन्ट एयर मानिटरिंग का कार्य किया गया | संलग्न अनुश्रवण आख्यानुसार पी.एम. की मात्रा बोर्ड मानकों के अनुरूप नही पायी गयी | पूर्व में उक्त उद्योग को कार्यालय के पत्र संख्या 854/F-50/WC/PC/2020 दिनांक 17.11.2020 द्वारा नोटिस प्रेषित किया गया था | उक्त नोटिस के अनुक्रम में उद्योग द्वारा अपने पत्र दिनांक 26.11.2020 द्वारा स्पष्टीकरण प्रेषित किया गया है | इसके बाद उद्योग स्वामी द्वारा अपने नोटराइज्ड शपथ पत्र पर दिनांक 11.01.2021 द्वारा सन्दर्भित उद्योग को नये स्थान पर जमीन खरीदते हुए चरणबद्ध तरीके से एक वर्ष में इकाई शिफ्ट करने हेतु कार्यालय में प्रेषित किया गया था |

तदोपरान्त सन्दर्भित उद्योग के विरूद्ध पुनः प्राप्त शिकायत के अनुक्रम में दिनांक 01.02.2021 को कार्यालय द्वारा निरीक्षण किया गया | निरीक्षण के समय पायी गयी कमियों के संबंध में उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 के प्राविधानों के अनुपालन हेतु कार्यालय के पत्र संख्या 1545/सा० शिकायत/नोटिस/2021 दिनांक 05.02.2021 द्वारा नोटिस प्रेषित किया गया एवं आख्या कार्यालय के पत्र संख्या 1548/सा० शिकायत/2021 दिनांक 05.02.2021 द्वारा बोर्ड मुख्यालय प्रेषित की गयी | उद्योग को प्रेषित नोटिस का अनुपालन उद्योग द्वारा नही किया जाता पाया गया, स्थिति पूर्ववत् है |

उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए सन्दर्भित उद्योग के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 के प्राविधानों के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं नियमानुसार नोटिस प्रेषित करने हेतु अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत |

संलग्नक : यथोपरि |

भवदीय
(विजय)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित |

1- आयुक्त महोदय, देवीपाटन मण्डल, जनपद गोण्डा |
2- जिलाधिकारी महोदय, जनपद बहराइच |
3- प्रभारी अधिकारी (परिवाद), कृते जिलाधिकारी, जनपद बहराइच को पत्र संख्या 364/शि०लि०-31आर/ प्र०जा०)/2021 दिनांक 27.02.2021 के सन्दर्भ में |
4- उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केन्द्र, जनपद बहराइच |
5- उप जिलाधिकारी, तह० सदर, जनपद बहराइच |
6- श्री विनोद अग्रवाल, अध्यक्ष, राइस मिल एसोसिएशन, मेसर्स प्रहलाद राय मुरलीधर राइस मिल, दरगाह रोड, जनपद बहराइच |

क्षेत्रीय अधिकारी

REGIONAL LABORATORY (05278-245411)

U.P. POLLUTION CONTROL BOARD

1/17/104, Ram Nagar Colony, Prikrama Marg
Ayodhya-224001

AMBIENT AIR MONITORING DATA AND ANALYSIS REPORT

1- Name of Industry : M/s. Amarnath Rice Mill, Dargah Road, Bahraich

2- Name of Industry's Representative : Shri Amarnath Agrwal

3- Monitoring carried out by : R.K. Chaubey (S.A.) & Dinesh Chandra Mishra (M.A.)

4- Date of Monitoring : 06.03.2021

5- Monitoring Place : M/s. Amarnath Rice Mill Office

S. No.	Parameters	Observed Values	Standard Value
1-	Total Time of Monitoring in min.	447	--
2-	Average flow rate in m^3/min.	1.15	--
3-	Total Volume of Air in m^3.	514.05	--
4-	Concentration of S.P.M. (PM 10) in µg/m^3	135.30	100
5-	Concentration of SO_2 in µg/m^3	--	--
6-	Concentration of NO_x in µg/m^3	--	--

Analyzed By :

(Scientific Asstt.)

(Regional Officer)

Annexure- 06

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या H61487 /सी–6 | क्षे०–618| का०बा०नो०/अयो०/21 दिनांक 5/4/21

पंजीकृत

क्रम सं० 60
पत्रावली
अभिलेख
दिनांक 13/5/21

मेसर्स अमरनाथ राईस मिल,
आजाद नगर,
जनपद–बहराइच।

यह कि मेसर्स अमरनाथ राईस मिल, आजाद नगर, बहराइच जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, कच्चे माल के रूप में धान का प्रयोग कर अरवा चावल के उत्पादन किये जाने हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित/कार्यरत है वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथा संशोधित की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि मेसर्स अमरनाथ राईस मिल, आजाद नगर, बहराइच का निरीक्षण बोर्ड के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक 06.03.2021 को किया गया। निरीक्षण के समय उद्योग संचालित पाया गया। निरीक्षण आख्यानुसार उक्त उद्योग के पूरब दिशा में सटा हुआ श्री अतुल गुप्ता पुत्र स्व राममूर्ति गुप्ता का आवासीय मकान स्थित है। पश्चिम दिशा में लगभग 10 फिट की दूरी पर श्रीमती पूर्णिमा अग्रवाल का खाली प्लाट स्थित है। उत्तर दिशा में सटा हुआ श्री शिव शंकर अग्रवाल का आवासीय मकान स्थित है। दक्षिण दिशा में लगभग 10 फिट के रास्ते के बाद ग्राम–बादहों की आबादी स्थित है। उद्योग में 02 टन प्रति घण्टा वाष्प जनन क्षमता का एक ब्वायलर स्थापित है, जिसमें ईंधन के रूप में राईस हस्क का प्रयोग किया जाता है। फ्लू गैस के उत्सर्जन हेतु भूतल से लगभग 100 फिट ऊंची चिमनी स्थापित है। वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था के रूप में साइक्लोन डस्ट कलक्टर की स्थापना की गई है।

यह कि निरीक्षण आख्यानुसार उद्योग से जनित भूंसी का निस्तारण बन्द टीन कवर्ड शेड में किया जाता है। निरीक्षण के समय पाया गया कि शिकायत कर्ता श्री अतुल गुप्ता के मकान की तरफ में उद्योग द्वारा स्थापित कवर्ड किया टीन शेड एक स्थान पर (2x3 फिट) खुला हुआ पाया गया, जिससे शिकायतकर्ताके मकान में फ्यूजीटिव इमीशन की समस्यां होना स्वाभाविक है। निरीक्षण के समय बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा उद्योग में परिवेशीय वायु गुणता का अनुश्रवण किया गया। अनुश्रवण आख्यानुसार पी०एम० 10 की मात्रा 135.3 माइक्रोग्राम/घन मीटर (मानक 100 माइक्रोग्राम/घन मीटर) पाई गई। जो कि निर्धारित मानक से अधिक है।

यह कि बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय अयोध्या द्वारा उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्राविधानों के अनुपालन हेतु दिनांक 05.02.2021 को निर्देश दिये गये थे। निरीक्षण आख्यानुसार उद्योग द्वारा उक्त निर्देश का अनुपालन नहीं किया गया है।

यह कि निरीक्षण आख्यानुसार उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21/22 के अन्तर्गत दिनांक 31.07.2024 तक बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय अयोध्या के स्तर से सशर्त सहमति प्रदान किया गया है।

अतऐव जनहित एवं जन स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुये यह आवश्यक है कि उद्योग का संचालन रोका जाये।

अतः उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोंपरान्त उद्योग मेसर्स अमरनाथ राईस मिल, आजाद नगर, बहराइच के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए सपठित धारा–21(4) के अन्तर्गत निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किये जाते है:–

1. यह कि क्यों न उद्योग मेसर्स अमरनाथ राईस मिल, आजाद नगर, बहराइच के संचालन को बन्द कर दिया जाये।

TC/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.com - Web Site: www.uppcb.com

2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से अपेक्षा की जाये कि उद्योग मेसर्स अमरनाथ राईस मिल, आजाद नगर, बहराइच को मिलने वाली विद्युत तथा जल का विच्छेदन कर दें।
3. यह कि क्यों न उद्योग मेसर्स अमरनाथ राईस मिल, आजाद नगर, बहराइच को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21/22 के अन्तर्गत जारी सहमति को रिवोक/खण्डित कर दिया जाये।

उक्त कारण बताओ नोटिस का उत्तर/स्पष्टीकरण विलम्बतम 15 दिन में प्रेषित करें। कारण बताओ नोटिस का उत्तर/स्पष्टीकरण प्राप्त न होने पर अथवा संतोषजनक न पाये जाने पर उक्त कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
वृत्त–6

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, बहराइच।
2. पुलिस अधीक्षक, बहराइच।
3. अधिशाषी अभियन्ता, उ0प्र0 विद्युत वितरण खण्ड़, बहराइच।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अयोध्या को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उद्योग को जारी कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में ससमय आख्या एवं स्पष्ट संस्तुति प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
वृत्त–6

Annexure-07

विषय-शिकायतकर्ता श्री अतुल गुप्ता पुत्र स्व0 राममूर्ति गुप्ता, निवासी–मोहल्ला–गुलामअली पुरा, आजाद रोड, जनपद बहराईच द्वारा मेसर्स अमरनाथ राईस मिल, आजाद रोड, जनपद बहराईच के संचालन से हो रहे प्रदूषण की शिकायत के संबंध में निरीक्षण आख्या।

उपरोक्त विषयक के संबंध में उक्त उद्योग का निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा दिनांक 01.01.2022 को किया गया। निरीक्षण के समय इकाई प्रतिनिधि के रूप में श्री अमरनाथ अग्रवाल(प्रोपाईटर) एवं शिकायतकर्ता श्री अतुल गुप्ता उपस्थित थे। निरीक्षण के समय उद्योग उत्पादनरत पाया गया। निरीक्षण आख्या निम्नवत है–

01– उद्योग का उद्योग एक राइस मिल उद्योग है तथा कार्यालय अभिलेखानुसार वर्ष 1997 से स्थापित/संचालित है।

02– उद्योग द्वारा कच्चे माल के रूप में धान का प्रयोग कर लगभग 04 टन/घण्टा की दर से अरवा चावल का उत्पादन किया जाता है। निरीक्षण के दौरान उद्योग में मात्र अरवा चावल का उत्पादन किया जाता हुआ पाया गया। उपस्थित उद्योग प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि लगभग 02 वर्ष से उद्योग में स्टीम चावल/सेल्हा चावल का उत्पादन नही किया जा रहा है।

03– उद्योग में जल का प्रयोग घरेलू प्रयोजन एवं औद्योगिक प्रयोजन में स्टीम हेतु में प्रयोग किया जाता है। उद्योग से जनित घरेलू उत्प्रवाह के निस्तारण हेतु सेप्टिक/सोकपिट टैंक की व्यवस्था स्थापित है।

04– उद्योग द्वारा 2 टन/घंटा वाष्प जनन क्षमता का एक ब्वायलर स्थापित है। जिसमें ईधन के रूप में राइस हस्क का प्रयोग किया जाता है। फ्लू गैसों के उत्सर्जन हेतु एम0एस0 निर्मित भूतल से लगभग 100 फिट ऊंची चिमनी स्थापित है। वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था के रूप मे साइक्लोन डस्ट कलक्टर की स्थापना की गयी है। निरीक्षण के समय उद्योग में स्थापित ब्वायलर संचालित नही पाया गया। उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि लगभग 02 वर्ष से उद्योग में स्थापित ब्वायलर को उपयोग में नही लिया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान उद्योग परिसर के चारों तरफ धान की भूंसी एवं डस्ट/धूल कण उड़ते हुए परिलक्षित हुये। उद्योग द्वारा उत्पादन प्रक्रिया से जनित धान की भूसी का भण्डारण उद्योग परिसर में स्थापित कवर्ड शेड में किया जाता है।

05– निरीक्षण के दौरान उद्योग में फ्यूजीटिव इमीशन/धूलकण आदि के रोकथाम हेतु जल छिड़काव की स्थाई व्यवस्था स्थापित नही पायी गयी।

06– उद्योग द्वारा विद्युत आपूर्ति बाधित होने की दशा में 62.5 केवीए का एक अदद कैनीपीयुक्त डी0जी0 सेट स्थापित है जिसमें ईधन के रूप में लगभग 05 ली0/घंटा की दर से डीजल का प्रयोग किया जाता है।

07– निरीक्षण के समय कार्यालय की प्रयोगशाला द्वारा एम्बिएन्ट एयर मानिटरिंग का कार्य किया गया। संलग्न अनुश्रवण आख्यानुसार पी0एम0 की मात्रा–315.97 माइक्रोग्राम/घनमीटर पायी गयी, जो बोर्ड मानकों से अत्यधिक है। निरीक्षण के दौरान शिकायतकर्ता के मकान की छत एवं बगल स्थित मस्जिद की छत पर धान की भूसी फैली हुयी पायी गयी। जिससे यह प्रतीत होता है कि उद्योग के संचालन से शिकायकर्ता फ्यूजीटिव इमीशन की समस्या से प्रभावित है।

08– कार्यालय अभिलेखानुसार उक्त उद्योग को राज्य बोर्ड द्वारा दिनांक 31.07.2024 तक सशर्त सहमति जल तथा वायु निर्गत है।

09– कार्यालय अभिलेखानुसार उद्योग स्वामी द्वारा उक्त उद्योग को नये स्थान पर जमीन खरीदते हुए चरणबद्व तरीक से एक वर्ष मे शिफट करने हेतु नोटराइज्ड शपथ पत्र दिनांक 11.01.2021 इस कार्यालय में उपलब्ध कराया गया था।

10– उद्योग के विरूद्व पूर्व में भी निरन्तर शिकायतें प्राप्त होती रही हैं। कार्यालय द्वारा उक्त उद्योग का निरीक्षण पूर्व में दिनांक 06.03.2021 को किया गया था एवं उद्योग के विरूद्व वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने की संस्तुति इस कार्यालय के पत्र संख्या 1660/एफ–50/सा0 शिकायत/2021 दिनांक 12.03.2021

द्वारा बोर्ड मुख्यालय लखनऊ के सक्षम अधिकारी को प्रेषित किया गया था। उक्त के अनुक्रम में बोर्ड मुख्यालय के सक्षम अधिकारी द्वारा उद्योग के विरूद्व वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए सपठित धारा–21(4) के अन्तर्गत पत्र संख्या–एच 61407/सी–6/सा0–618/का0ब0नो0/अयोध्या/21 दिनांक 05.04.2021 द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, जो वर्तमान में प्रभावी है।

अतः उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए बोर्ड मुख्यालय द्वारा उक्त उद्योग के विरूद्व वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए सपठित धारा–21(4) के अन्तर्गत पत्र संख्या–एच 61407/सी–6/सा0–618/का0ब0नो0/अयोध्या/21 दिनांक 05.04.2021 द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि की जाती है। उक्त आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यावाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

(विनोद कुमार)
प्रयोगशाला सहायक

(दिनेश चन्द्र मिश्र)
अनु0सहायक

(विनय कुमार)
वैज्ञानिक सहायक

सहा0पर्या0अभि0 / क्षेत्रीय अधिकारी महोदय,

Annexure-08

REGIONAL OFFICE
U.P. POLLUTION CONTROL BOARD
AYODHYA

AMBIENT AIR QUALITY MONITORING
DATA SHEET FOR PRATICULATE MATTER (Size less then 10 um) or PM_{10}

Name of Place - Madina Maszid Oot Wali of M/s. Amar Nath Rice Mill, Azad Nagar, Bahraich
Date of Monitring - 01.01.2022
Sample Cllected By - Vinay Kumar (S.A.), Dinesh Chandra Mishra (M.A.) & Vinod Kumar (L.

Shift :	12:00 - 16:00
Monitoring Duration	240 Minuts
Filter Paper No.	
Hourly Flow Rate (m^3/minute)	1.24
	1.16
Average Flow Rate (m^3/minute)	1.20
Total operation Time (Minutes)	240
Initial Weight of Filter Paper (gms.)	3.3852
Final Weight of Filter Paper (gms.)	3.4762
Dust Contents (gms.)	0.0910
Total Volume of Air Sampled (m^3)	288.00
Concentration of SPM (ug/m^3):	315.97
24 Hourly Average PM_{10} (ug/m^3):	--
Remarks :	-

LA/MA (Scietific Assistant)

(Regional Officer)

तार : पर्यावरण
GRAM : PARYAVARAN

क्षेत्रीय कार्यालय
Regional Office

Annexure-09
फोन एवं फैक्स : 05278-245411
Tele & Fax : 05278-245411
Email- rofaizabad@uppcb.com

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अयोध्या
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, AYODHYA

Ref. No. : 971/F-50/Notice/2022

दिनांक :
Dated : 17.1.2022

सेवा में,

मेसर्स अमरनाथ राईस मिल
आजाद रोड,
जनपद बहराईच।

विषयः—<u>शिकायतकर्ता श्री अतुल गुप्ता पुत्र स्व0 राममूर्ति गुप्ता, निवासी—मोहल्ला—गुलामअली पुरा, आजाद रोड, जनपद बहराईच द्वारा आपके उद्योग के संचालन से हो रहे प्रदूषण की शिकायत के संबंध में ।</u>

महोदय,

उपरोक्त विषयक शिकायतकर्ता श्री अतुल गुप्ता पुत्र स्व0 राममूर्ति गुप्ता, निवासी—मोहल्ला—गुलामअली पुरा, आजाद रोड, जनपद बहराईच द्वारा आपके उद्योग के संचालन से हो रहे प्रदूषण की प्राप्त शिकायत के संबंध में आपके उद्योग का निरीक्षण इस कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक 01.01.2022 को किया गया। निरीक्षण के समय उद्योग उत्पादनरत पाया गया। निरीक्षण के समय कार्यालय की प्रयोगशाला द्वारा एम्बिएन्ट एयर मानिटरिंग का कार्य किया गया। अनुश्रवण आख्यानुसार पी0एम0 की मात्रा—315.97 माइक्रोग्राम/घनमीटर पायी गयी, जो बोर्ड मानको से अत्यधिक है। निरीक्षण के दौरान शिकायतकर्ता के मकान की छत एवं बगल स्थित मस्जिद की छत पर धान की भूसी फैली हुयी पायी गयी तथा उद्योग में फ्यूजीटिव इमीशन/धूलकण आदि के रोकथाम हेतु जल छिड़काव की स्थाई व्यवस्था स्थापित नही पायी गयी। जिससे यह प्रतीत होता है कि उद्योग के संचालन से आस पास के क्षेत्रवासी फ्यूजीटिव इमीशन की समस्या से प्रभावित है।

अग्रेतर यह भी अवगत कराना है कि बोर्ड मुख्यालय के सक्षम अधिकारी द्वारा उद्योग के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा—31ए सपठित धारा—21(4) के अन्तर्गत पत्र संख्या—एच 61407/सी—6/सा0—618/का0ब0नो0/अयोध्या/21 दिनांक 05.04.2021 द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, जो वर्तमान में प्रभावी है।

तत्क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों के संबंध में एक सप्ताह के भीतर अपना स्पष्टीकरण इस कार्यालय को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें। अन्यथा की दशा में राज्य बोर्ड द्वारा आपके उद्योग को जारी सहमति वायु दिनांक 28.05.2020 खण्डित/रिवोक कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपके उद्योग का स्वयं का होगा।

संलग्नक—उपरोक्तानुसार।

भवदीय

क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि—मुख्य पर्यावरण अधिकारी(वृत्त—6), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यावाही हेतु सादर प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

Scanned with CamScanner

Annexure-10

तार : पर्यावरण
GRAM : PARYAVARAN

क्षेत्रीय कार्यालय
Regional Office

फोन एवं फैक्स : 05278-245411
Tele & Fax : 05278-245411
Email- rofaizabad@uppcb.com

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अयोध्या
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, AYODHYA

दिनांक : 29.1.2022
Dated :

Ref. No.: 1005/F-50/AC/रिवोक/2022

सेवा में,

मेसर्स अमरनाथ राईस मिल
आजाद रोड,
जनपद बहराईच।

विषयः–राज्य बोर्ड के पत्रांक संख्या–95072/UPPCB/Faizabad(UPPCBRO)/CTO/air/BAHRAICH/2020 दिनांक 28.05.2020 द्वारा आपके उद्योग को जारी सहमति वायु को खण्डित/रिवोक किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। अवगत कराना है कि शिकायतकर्ता श्री अतुल गुप्ता पुत्र स्व0 राममूर्ति गुप्ता, निवासी–मोहल्ला–गुलामअली पुरा, आजाद रोड, जनपद बहराईच द्वारा आपके उद्योग के संचालन से हो रहे प्रदूषण की प्राप्त शिकायत के संबंध में आपके उद्योग का निरीक्षण इस कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक 01.01.2022 को किया गया। निरीक्षण के समय उद्योग उत्पादनरत पाया गया। निरीक्षण के समय कार्यालय की प्रयोगशाला द्वारा एम्बिएन्ट एयर मानिटरिंग का कार्य किया गया। अनुश्रवण आख्यानुसार पी0एम0 की मात्रा–315.97 माइक्रोग्राम/घनमीटर पायी गयी, जो बोर्ड मानको से अत्यधिक है। निरीक्षण के दौरान शिकायतकर्ता के मकान की छत एवं वगल स्थित मस्जिद की छत पर धान की भूसी फैली हुयी पायी गयी तथा उद्योग में फ्यूजीटिव इमीशन/धूलकण आदि के रोकथाम हेतु जल छिड़काव की स्थाई व्यवस्था स्थापित नही पायी गयी। जिससे यह प्रतीत होता है कि उद्योग के संचालन से आस पास के क्षेत्रवासी फ्यूजीटिव इमीशन की समस्या से प्रभावित है।

अग्रेतर यह भी अवगत कराना है कि बोर्ड मुख्यालय के सक्षम अधिकारी द्वारा उद्योग के विरूद्व वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए सपठित धारा–21(4) के अन्तर्गत पत्र संख्या–एच 61407/सी–6/सा0–618/का0व0नो0/अयोध्या/21 दिनांक 05.04.2021 द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, जो वर्तमान में प्रभावी है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों के संबंध में इस कार्यालय के पत्रांक संख्या–971/एफ–50/नोटिस/2022 दिनांक 17.01.2022 द्वारा आपको एक सप्ताह के भीतर अपना स्पष्टीकरण इस कार्यालय को प्रेषित किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया था। कार्यालय अभिलेखानुसार उक्त पत्र दिनांक 17.01.2022 के संबंध में आपके द्वारा अभी तक अपना स्पष्टीकरण/प्रतिउत्तर इस कार्यालय में प्रेषित नही किया गया है।

अतः उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में राज्य बोर्ड के पत्रांक संख्या–95072/UPPCB/Faizabad(UPPCBRO)/CTO/air/BAHRAICH/2020 दिनांक 28.05.2020 द्वारा आपके उद्योग को जारी सहमति वायु को खण्डित/रिवोक किया जाता है।

भवदीय

(हस्ताक्षर)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि–मुख्य पर्यावरण अधिकारी(वृत्त–6), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यावाही हेतु सादर प्रेषित।

(हस्ताक्षर)
क्षेत्रीय अधिकारी

भारतीय डाक
India Post
RU1895423341N IVR:8285189542334
RL RAMNAGAR COLONY SO <224001>
Counter No:1,29/01/2022,15:01
To:MESS AMARNATH RICE,BAHRAICH
PIN:271801, Bahraich HO
From:CHETRIYA FR,RAM NAGAR COLONY
Wt:15gms
Amt:22.00(Cash)
<Track on www.indiapost.gov.in>
<Dial 18002666868> <Wear Masks, Stay Safe>

1005

Annexure-11

तार : पर्यावरण
GRAM : PARYAVARAN

क्षेत्रीय कार्यालय
Regional Office

फोन एवं फैक्स : 05278-246411
Tele & Fax : 05278-246411
Email- rofaizabad@uppcb.com

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अयोध्या
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, AYODHYA

Ref. No.: 1028/F-50/रिवोक/2022

दिनांक :
Dated : 31.01.2022

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी(वृत्त–6),
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषयः–राज्य बोर्ड के पत्रांक संख्या–95072/UPPCB/Faizabad(UPPCBRO)/CTO/air/BAHRAICH/2020 दिनांक 28.05.2020 द्वारा आपके उद्योग को जारी सहमति वायु को खण्डित/रिवोक किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या–एच 70550/सी–6/सा–618/बहराइच/2021 दिनांक 18.01.2022 का संदर्भ ग्रहण करना चाहे। उक्त के संबंध में अवगत कराना है कि शिकायतकर्ता श्री अतुल गुप्ता पुत्र स्व0 राममूर्ति गुप्ता, निवासी–मोहल्ला–गुलामअली पुरा, आजाद रोड, जनपद बहराईच द्वारा संदर्भित उद्योग मेसर्स अमरनाथ राइस मिल, आजाद रोड, जनपद बहराइच के संचालन से हो रहे प्रदूषण की प्राप्त शिकायत के संबंध में उक्त उद्योग का निरीक्षण इस कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक 01.01.2022 को किया गया। निरीक्षण के समय उद्योग उत्पादनरत पाया गया। निरीक्षण के समय कार्यालय की प्रयोगशाला द्वारा एम्बिएन्ट एयर मानिटरिंग का कार्य किया गया। अनुश्रवण आख्यानुसार पी0एम0 की मात्रा–315.97 माइक्रोग्राम/घनमीटर पायी गयी, जो बोर्ड मानकों से अत्यधिक है। निरीक्षण के दौरान शिकायतकर्ता के मकान की छत एवं बगल स्थित मस्जिद की छत पर धान की भूसी फैली हुयी पायी गयी तथा उद्योग में फ्यूजीटिव इमीशन/धूलकण आदि के रोकथाम हेतु जल छिड़काव की स्थाई व्यवस्था स्थापित नही पायी गयी। जिससे यह प्रतीत होता है, कि उद्योग के संचालन से आस पास के क्षेत्रवासी फ्यूजीटिव इमीशन की समस्या से प्रभावित है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों के संबंध में इस कार्यालय के पत्रांक संख्या–971/एफ–50/नोटिस/2022 दिनांक 17.01.2022 द्वारा उद्योग को एक सप्ताह के भीतर अपना स्पष्टीकरण इस कार्यालय को प्रेषित किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया था। कार्यालय अभिलेखानुसार उक्त पत्र दिनांक 17.01.2022 के संबंध में उद्योग द्वारा निर्धारित समयावधि बीत जाने के पश्चात् दिनांक 29.01.2022 तक अपना स्पष्टीकरण/प्रतिउत्तर इस कार्यालय में प्रेषित नही किया गया।

अग्रेतर यह भी अवगत कराना है कि बोर्ड मुख्यालय के सक्षम अधिकारी द्वारा उद्योग के विरूद्व वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए सपठित धारा–21(4) के अन्तर्गत पत्र संख्या–एच 61407/सी–6/सा0–618/का0ब0नो0/अयोध्या/21 दिनांक 05.04.2021 द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, जो वर्तमान में प्रभावी है।

अतः उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में राज्य बोर्ड के पत्रांक संख्या–95072/UPPCB/Faizabad(UPPCBRO)/CTO/air/BAHRAICH/2020 दिनांक 28.05.2020 द्वारा उक्त उद्योग को जारी सहमति वायु को इस कार्यालय के पत्र संख्या–1005/एफ–50/ए0सी0/रिवोक/2022 दिनांक 29.01.2022 द्वारा रिवोक कर लिया गया है। उद्योग को जारी सहमति वायु रिवोक किये जाने संबंधी पत्र दिनांक 29.01.2022 की छायाप्रति पत्र के साथ संलग्न करते हुए उद्योग के विरूद्व वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए सपठित धारा–21(4) के अन्तर्गत पत्र संख्या–एच 61407/सी–6/सा0–618/का0ब0नो0/अयोध्या/21 दिनांक 05.04.2021 द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि की जाती है।

संलग्नक –उपरोक्तानुसार।

भवदीय

क्षेत्रीय अधिकारी

Annexure-12

E-mail Dt. 21-02-2022

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

पत्रांक--H-1830/सी--6/सा0-618/बन्दी आदेश/अयोध्या/21/2022 दि0 21/2/2022

पंजीकृत क्रमांक: 351
पत्रावली.........
अभिलेख.........
दिनांक 21-2-2022

सेवा में,

मै0अमर नाथ राइस मिल,
आजाद रोड,
जिला-बहराईच।

यह कि मै0 अमर नाथ राइस मिल,आजाद रोड, जिला-बहराईच में कच्चे माल के रूप में धान का प्रयोग कर लगभग 08 टन/दिन अरवा चावल उत्पादन का कार्य किये जाने हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित एव संचालित है, जो कि वायु(प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम,1981 (यथासंशोधित) की धारा-40 के अंतर्गत एक कम्पनी है।

यह कि मै0 अमर नाथ राइस आजाद रोड, जिला-बहराईच द्वारा स्थापित एवं संचालित राइस मिल का निरीक्षण बोर्ड के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक 01.01.2022 को किया गया। निरीक्षण में पाया गया कि उद्योग द्वारा 2 टन/घंटा वाष्प जनन क्षमता का एक ब्वायलर स्थापित है जिसमें ईंधन के रूप में राइस हस्क का प्रयोग किया जाता है फ्लू गैसों के उत्सर्जन हेतु एम0एस0 निर्मित भूतल से लगभग 100 फिट ऊँची चिमनी स्थापित है। वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था के रूप में साइक्लोन डस्ट कलक्टर की स्थापना की गयी है। निरीक्षण के समय उद्योग में स्थापित ब्वायलर संचालित नहीं पाया गया। निरीक्षण के दौरान उद्योग परिसर के चारो तरफ धान की भूसी एवं डस्ट/धूल कड़ उड़ते हुए परिलक्षित हुए। उद्योग द्वारा उत्पादन प्रक्रिया से जनित धान की भूसी का भण्डारण उद्योग परिसर में स्थापित कवर्ड शेड में किया जाता है। निरीक्षण के दौरान उद्योग में फ्यूजिटिव इमीशन/धूलकण आदि की रोक-थाम हेतु जल छिड़काव की स्थायी व्यवस्था स्थापित नही पायी गयी।

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय, अयोध्या की अनुश्रवण आख्यानुसार परिवेशीय वायु की गुणता 315.97 माइक्रो ग्राम घनमीटर पायी गयी जो निर्धारित मानको से अत्याधिक है। निरीक्षण के दौरान शिकायतकर्ता के मकान की छत एवं बगल स्थित मस्जिद की छत पर धान की भूसी फैली हुयी पायी गयी जिससे यह प्रतीत होता है कि उद्योग के संचालन से शिकायतकर्ता फ्यूजिटिव इमीशन की समस्या से प्रभावित है।

यह कि उद्योग द्वारा विद्युत आपूर्ति बाधित होने की दशा में 62.5 हार्स पावर का कैनोपीयुक्त डी0जी0 सेट स्थापित जिसमें ईंधन के रूप में लगभग 05 लीटर/घंटा की दर से डीजल का प्रयोग किया जाता है।

यह कि उद्योग का संचालन बोर्ड से सहमति प्राप्त किये बिना ही किया जा रहा है। उक्त परिस्थितियां में उद्योग द्वारा वायु(प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम,1981 की धारा,21/22 का अनुपालन न करते हुए इकाई का संचालन करना आज्ञापक प्राविधानो का उल्लंघन है।

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय, अयोध्या की आख्यानुसार मै0 अमर नाथ राइस आजाद रोड, जिला-बहराईच को बोर्ड द्वारा वायु(प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-31 ए के अन्तर्गत दिनांक 05.04.2021 द्वारा कारण बताओ नोटिस प्रेषित किया गया था। क्षेत्रीय कार्यालय, अयोध्या के पत्र दिनांक 31.01.2022 द्वारा अवगत कराया गया है कि पूर्व में मै0 अमर नाथ राइस आजाद रोड, जिला- बहराईच को राज्य बोर्ड के पत्रांक संख्या-95072/UPPCB/Faizabad(UPPCB RO)/CTO/Air/Baharich/2020 दिनांक 28.05.2020 के द्वारा जारी सहमति वायु को रिवोक कर दिया गया है तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण)अधिनियम, 1981(यथासंशोधित)की धारा-31A सपठित धारा-21-(4) के अन्तर्गत दिनांक 05.04.2021 द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि करते हुए बन्दी आदेश जारी किये जाने की संस्तुति की गयी है।

क्रमशः पेज-2

AEE (A.K.)
21/2/22

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow- 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 - 2720764
Email: info@uppcb.com - Web Site: www.uppcb.com

Scanned with CamScanner

अतः आपके द्वारा किए जा रहे वायु प्रदूषण को ध्यान में रखते जन–हित में जन साधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने के हेतु मै0 अमर नाथ राइस आजाद रोड, जिला–बहराईच को प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित किये जाने से रोका जाए।

अतःउपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत मै0अमर नाथ राइस मिल आजाद रोड, जिला–बहराईच के विरूद्ध वायु(प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम,1981(यथासंशोधित) की धारा–31 ए के अर्न्तगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न बन्दी आदेश जारी किया जाता है:–

1 यह कि मै0 अमर नाथ राइस मिल आजाद रोड,जिला–बहराईच के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।

2 यह कि सक्षम अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि मै0 अमर नाथ राइस मिल,आजाद रोड, जिला–बहराईच का मिलने वाली विद्युत आपूर्ति तथा जलापूर्ति एवं अन्य सुविधाओं को तत्काल प्रभाव से विच्छेदित कर दिया जाय।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
वृत्त–6

प्रतिलिपि:–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1 जिलाधिकारी, बहराइच को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि बोर्ड द्वारा जारी बन्दी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।

2 पुलिस अधीक्षक,बहराइच को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि बोर्ड द्वारा जारी बन्दी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु सम्बन्धित पुलिस अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।

3 अधिशासी अभियन्ता,उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, बहराईच को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि बोर्ड द्वारा जारी बन्दी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु उद्योग को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति का विच्छेदन करने का कष्ट करें।

4 क्षेत्रीय अधिकारी,उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अयोध्या को इस निर्देश के साथ कि उक्त बन्दी आदेश का अनुपालन सम्बन्धित अधिकारियों से सम्पर्क कर तत्काल अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
वृत्त–6

Annexure-13

कार्यालय जिलाधिकारी, बहराईच

पत्र संख्याः 1123/ओ०ए०/क्षे०प्रदू०नि०बोर्ड / 2022

दिनांकः 11.03.2022

आदेश

कृपया मुख्य पर्यावरण अधिकारी(वृत्त-6), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, टी0सी0 / 12वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ के पत्र संख्या-H71830 / सी-6 / सा0-618 / बन्दी आदेश / अयोध्या / 21 / 2022 दिनांक 21.02.2022 का अवलोकन करना चाहें। उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के उक्त पत्र दिनांक 21.02.2022 द्वारा मेसर्स अमरनाथ राईस मिल, आजाद रोड, जनपद बहराइच के विरूद्व वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा 31ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश जारी किया गया है।

तत्क्रम में इकाई मेसर्स अमरनाथ राईस मिल, आजाद रोड, जनपद बहराइच के विरूद्व वायु(प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा 31ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु निम्नवत् टीम गठित की जाती है।

क्र0सं0	इकाई का नाम	संबंधित अधिकारी
01	मेसर्स अमरनाथ राईस मिल, आजाद रोड, जनपद बहराइच।	1-नगर मजिस्ट्रेट, बहराइच। 2-क्षेत्राधिकारी, सदर, जनपद बहराइच। 3-अधिशाषी अभियन्ता, मध्यांचल विद्युत वितरण खण्ड, बहराइच । 4-क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अयोध्या।

उपर्युक्त टीम के सदस्यों को आदेशित किया जाता है कि उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, टी0सी0 / 12वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ द्वारा जारी बन्दी आदेश का अनुपालन सुनिश्चत कराये जाने हेतु उद्योग को तत्काल बन्द / सील एवं विद्युत विच्छेदित कर अनुपालन आख्या से अवगत कराये।

11/03/2022

(डा0 दिनेश चन्द्र)
जिलाधिकारी, बहराइच

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01- पुलिस अधीक्षक, जनपद बहराइच।
02- अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), जनपद बहराइच।
03- क्षेत्राधिकारी, सदर, जनपद बहराइच।
04- अधिशाषी अभियन्ता, मध्यांचल विद्युत वितरण खण्ड, जनपद बहराइच।
05- क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अयोध्या।

11/03/2022
जिलाधिकारी, बहराइच

Annexure- 14

विषय - मैसर्स अमरनाथ राईस मिल, आजाद रोड़, जनपद - बहराइच को राज्य बोर्ड द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम -1981 की धारा- 31ए के अन्तर्गत निर्गत बंदी आदेश का अनुपालन के संबंध में।

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या - एच 71830/सी-6/सा० - 618 / बन्दी आदेश / अयोध्या /21/2022 दिनांक के संदर्भ में मैसर्स अमरनाथ राइस मिल, आजाद रोड जनपद बहराइच के विरुद्ध प्राप्त शिकायत एवं जन - स्वास्थ्य के हित में जनसाधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने हेतु वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31-ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन इकाई के विरुद्ध बंदी आदेश तत्काल प्रभाव से जारी किया गया है, उक्त बंदी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु जिलाधिकारी महोदय, बहराइच के पत्र सं. 1123/ओ० ए० - 371 / उ० प्रदू० नि० बोर्ड /2022 दिनांक 11.3.2022 के माध्यम से गठित टीम द्वारा दिनांक 01.4.2022 को उक्त संदर्भित उद्योग मेसर्स अमरनाथ राईस मिल, आजाद रोड़, जनपद बहराइच का संचालन बंद कर दिया गया है तथा इकाई में स्थापित पैडी क्लीनर, डी-हस्कार, साल्टेक्स यूनिट एवं विद्युत पैनल (सभी मुख्य इकाईयों के) इत्यादि को सील कराया गया। उद्योग के संचालन हेतु मुख्य विद्युत लाइन व समस्त विद्युत आपूर्ति, विद्युत विभाग द्वारा विच्छेदित करायी गई। उद्योग के संचालन के बंदी की निगरानी स्थानीय पुलिस चौकी को सौंपी गयी।

[signature] 01/4/22
(Santosh Kumar)
A.E.E.
R.O. U.P.P.C.B.
Ayodhya

[signature] 01/4/22
R.O UPPCB
Ayodhaya

[signature] 1/4/22
EE EDD-I
Bah.

[signature]
CO City
1/4/22
CO City

[signature]
01/04/2022
CM